शिवराज S/o नारायण मीणा
R/o मीणा वाडा न्यू रेल्वे गोदाम
के पीछे चित्तौड़गढ़

V/s

1. कमलेश S/o गोवर्धनलाल मीणा R/o पावरहाउस के पास चित्तौड़गढ़
2. रतनलाल S/o बाबूजी रैगर R/o गोपालनगर
3. तहसीलदार तहसील चित्तौड़गढ़

प्र.सं. 23/2019 (2019/00331)

08/2/24

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 02 की तलबी का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई। प्राप्ति रसीद अथवा अदम नोटिस प्राप्त नहीं। रजिस्ट्री दिनांक 20/10/2023 को कराई गई, जिसे एक माह से अधिक समय हो चुका है। अत: इनकी तामील मानी जाती है। आज अनुपस्थित। आवाज लगवाई गई। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 एवं विपक्षी 02 उपस्थित नहीं हुए। अत: इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी एक तरफा सुनी गई।

रमेशकुमार मीणा (अधि.)

हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए बाबत रास्ता दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम सुरजपोल पटवार क्षेत्र सेमल में कृषि आराजी संख्या 254 रकबा 0.33 हे. स्थित है। उक्त भूमि पर आने जाने के लिए प्रार्थी विपक्षीगण की आराजी संख्या 251/1, 251मी, 252मी. के पश्चिम दिशा से रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है। विपक्षीगण ने हम सलाह होकर दिनांक 14.1.2019 को कंटीले झाड़ डाल कर उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है, जिससे प्रार्थी को आने जाने एवं कृषि उपकरण

..... लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner

लाने ले जाने मे भारी समस्या आ रही है।
प्रार्थी के अपनी भूमि आराजीयात पर पंहुचने
का एक मात्र रास्ता है। इसके अतिरिक्त उक्त
आराजी पर पंहुचने का कोई वैकल्पिक रास्ता
नही है। अतः ग्राम सूरजपोल की आराजी
संख्या 251/1, 251 मी, 252 मी की पारिन्चम दिशा
की तरफ रास्ते के उपयोग उपभोग हेतु मुआवजा
निर्धारण ~~करवा कर~~ करवाया जाकर विपक्षीगण को
दिया जावे एवं 15 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज रेकार्ड
किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण
को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या
01, 02 के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध
एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।
तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट तलब
करने पर तहसीलदार द्वारा जरिए पत्रांक/राजस्व/
2022/796 दिनांक 14/9/2022 से मौका
रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की
उसकी खातेदारी भूमि की आराजी संख्या 254
रकबा 0.33 हे. मे जाने के लिए राजकीय रोड
से आगे ग्राम सूरजपोल की आराजी नम्बर
1659/251 रकबा 0.18 हे. मे से (35 X 4 मीटर)
दक्षिण मेड के सहारे कुल 0.015 हे. भूमि रास्ते
के लिए प्रस्तावित की है। जिसे नक्शे मे लाल
स्याही से दर्शाया गया है। यह रास्ता उनकी
की आराजी तक पंहुचने का निकटतम रास्ता है।
प्रार्थी की आराजी पर जाने के लिए कोई वैकल्पिक
रास्ता उपलब्ध नही है। रास्ते के उपयोग मे
.....लगातार

(वीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner

क्रमांक तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म मेंज
	आने वाली भूमि की कीमत डी.एल.सी. दर 10876.00 के दो गुना राशि 32628.00 रु. बनती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय मौका रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम सुरजपोल प०ह० स्थित आराजी संख्या 254 रकबा 0.336 हे. पर आने जाने हेतु रास्ता कायम करने बाबत विपक्षी संख्या 01 की ग्राम सुरजपोल स्थित आराजी संख्या 1659/251 रकबा 0.1800 हे. में से (35×4 मीटर) 0.015 हे. भूमि की कीमत डी.एल.सी. दर के दो गुना 32628.00 रुपए विपक्षी संख्या 01 को भुगतान किए जाने पर आराजी नम्बर 1659/251 रकबा 0.18 हे. में से प्रस्तावित 0.015 हे. भूमि को रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है, उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। राशि 32628.00 रुपए का भुगतान विपक्षी सं. 1 को किए जाने हेतु प्रार्थी उक्त राशि का विपक्षी के नाम का ड्राफ्ट बनवा कर भुगतान तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के मार्फत किए जाने हेतु प्रस्तुत करे। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित को भुगतान हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतु मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा जिसमें प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है कि प्रति निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर लिखा जावे कि सम्बन्धित को भुगतान के पश्चात राजस्व रेकार्ड में प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड में तरमीम किया जावे। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	